

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 670/2017/भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त,
वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स ओमप्रकाश कोल्या,
गुलाबपुरा, भीलवाड़ा

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :


श्री आर.के. खदाब,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक

.....विभाग की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 20.08.2018

निर्णय


1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 72/सीएसटी/15-16/भीलवाड़ा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.10.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 सपटित धारा 26, 28, 29(8)(बी), 58, 65 व 68 सपटित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 निर्धारण वर्ष 2003-04 के तहत आरोपित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का वर्ष 2003-04 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2005 को पारित किया गया था जिसमें कोई अतिरिक्त मांग कायम नहीं हुई थी। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी के परिज्ञान में आने पर कि भीलवाड़ा संभाग के पंजीकृत एक्सप्लोजिव व्यवहारी करापवंचन की मंशा से राज्य के भीतर की गई बिक्री को कूटरचित अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शाकर कूटरचित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर करापवंचन किया जा रहा है, इस शिकायत के आधार पर मध्यप्रदेश की चिन्हित पंजीकृत फर्मों द्वारा खरीद के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्रों का मिलान करने पर रुपये 1,88,48,177/- का अन्तर पाया गया। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके क्रम में प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 30 सपटित धारा 26, 28, 29(8)(बी), 58, 65 व 68 सपटित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत दिनांक 27.02.2009 को पारित कर मांग राशि रुपये 1,06,31,275/- कायम की गयी। उक्त पारित आदेश दिनांक

निरन्तर.....2

27.02.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय मैसर्स चारभुजानाथ बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा अपील संख्या 2174, 2175 व 2176/2010/भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 19.02.2012 के प्रकाश में जांच करने के निर्देशों के साथ प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया।

3. कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण के निस्तारण हेतु नोटिस जारी कर प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर प्राप्त किया तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत "सी" फॉर्म की जांच मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग से करवाये जाने पर मैसर्स गायत्री ट्रेडिंग कम्पनी, गुना द्वारा जारी घोषणा पत्र सी 2-0344257 सत्यापित पाये जाने पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करते हुए कर निर्धारण सम्पूरित किया गया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषण सम्बन्धी अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों से इतर (beyond) एक नया विवाद सृजित करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य अवधि में अन्तर्राज्यीय विक्रय के दौरान केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत रुपये 1,21,69,388/- के एक्सप्लोजिब्स की जो अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय बिक्री (subsequent inter-state sale) की गई थी, को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रश्नगत माल की बिक्री पूर्व में प्राप्त आदेश की पालना में की गई है एवं जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र 37 में दिये गये विवरण से प्रमाणित मानते हुए तथा प्रश्नगत माल के दस्तवेजों का उत्तरवर्ती क्रेता के पक्ष में पृष्ठांकन के अभाव में प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की नियत से अन्तर्राज्यीय विक्रय (sale in transit) दर्शाकर करापवंचन किया जाना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत किये गये उक्त विक्रय रुपये 1,21,69,388/- पर 20 प्रतिशत की कर दर से कर रुपये 24,33,877/-, ब्याज रुपये 34,31,799/- व अधिनियम की धारा 65 के तहत कर की दोगुना शास्ति रुपये 48,67,754/- कुल रुपये 1,07,33,430/- का आरोपण किया गया।
4. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है, अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि अपीलीय आदेश दिनांक 27.02.2009 में कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण केवल एक ही बिन्दु पर प्रतिप्रेषित किया गया था कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म की जांच मध्य प्रदेश राज्य से करवाई जाये तथा तत्पश्चात्




ही आवश्यक होने पर कोई कार्यवाही की जाये। कर निर्धारण अधिकारी ने इन निर्देशों की पालना में मध्य प्रदेश राज्य के 'सी' फॉर्म का सत्यापन करवाया गया तथा उक्त घोषणा पत्र सही पाया गया, अतः इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का पक्ष स्वीकार करते हुए इस बिन्दु पर तो कार्यवाही समाप्त कर दी गई। परन्तु एक नया ही बिन्दु यह सृजित कर दिया कि व्यवहारी द्वारा जो बिक्री धारा 6(2) of the CST Act के तहत sale in transit के रूप में की गई है, उसके सम्बन्ध में विक्रेता व्यवहारी के पास माल विक्रय से पूर्व आदेश विद्यमान थे तथा द्वितीयतः माल के दस्तावेजों का पृष्ठांकन नहीं किया गया था जिसके अभाव में धारा 6(2) की बिक्री को मान्य नहीं किया जा सकता, अतः इस बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से करारोपण करते हुए विलम्ब के लिये ब्याज तथा इस बिक्री को करारोपित बिक्री मानते हुए धारा 65 के अधीन कर की दुगुनी भी शास्ति भी आरोपित कर दी गई। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये प्रकरण में दिये गये विशिष्ट निर्देश की सीमा तक ही कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक जांच कर आदेश पारित करने थे परन्तु उस बिन्दु पर तो बाद जांच उसने व्यवहारी का पक्ष स्वीकार कर लिया परन्तु sale in transit के संव्यवहारों को मनमाने तरीके से अमान्य करते हुए इस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है जो कि पूर्णतः अविधिक होने के कारण अपास्त योग्य था, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हें अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार उन्होंने अपीलीय आदेश की पुष्टि करने व राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्ष 2003-04 हेतु पारित किये गये कर मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2005 व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स एवं प्रस्तुत घोषणा पत्रों के आधार पर सम्पूरित किया गया था जिसमें कोई अतिरिक्त मांग सृजित नहीं की गई थी। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के यह परिज्ञान में आने पर कि भीलवाड़ा स्थित कुछ फर्मों द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में कूटरचित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर करवंचना की जा रही है, के आधार पर अग्रिम जांच किये जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सी फॉर्म रुपये 1,97,71,722/- का तथाकथित रूप से मिलान नहीं होना पाया गया तथा इसके स्थान पर मात्र रुपये 9,23,545/- की बिक्री ही क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषित की जानी पाई। उक्त कृत्य के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 27.02.2009 को u/s 30, 26, 28, 29(8)(b), 58, 65, 68 of the RST Act, 1994 read with Section 9 of the CST Act आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण करते हुए अतिरिक्त मांग सृजित की।
8. उक्त कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 19.02.2012 प्रकरण इन विशिष्ट निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में आवश्यक जांच राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निर्णीत प्रकरण- मैसर्स चारभुजानाथ बनाम सहायक


31

आयुक्त (अपील संख्या 2174 से 2176/2010/भीलवाड़ा) में दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए की जाकर आदेश पारित किया जावे। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से करवाई गई जांच में वहां के क्रेता मैसर्स गायत्री ट्रेडिंग कम्पनी, गुना द्वारा जारी 'सी' फॉर्म क्रमांक 2-0344257 सत्यापित पाया जाने पर इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सम्बन्ध में प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.08.2015 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्न अभियुक्ति की गई है:-

"व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब का माननीय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा मै. चारभुजा नाथ के निर्णय में दिये गए तथ्यों के प्रकाश में अध्ययन किया गया तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सी फॉर्म की जांच मध्यप्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग से की गई। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-गुना द्वारा पत्र क्रमांक - 1680 दिनांक 30.05.2015 द्वारा मै. गायत्री ट्रेडिंग कम्पनी, गुना द्वारा जारी घोषणा पत्र सी-2-0344257 को सत्यापित किया है।


अतः सी फॉर्म के समर्थन में कूटरचित होने का कोई प्रमाण नहीं होने से तथा जांच में कोई विपरीत तथ्य नहीं पाए जाने से माननीय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा मै. चारभुजा नाथ के निर्णय में दिए गए निर्णय के प्रकाश में जांच करने पर व्यवहारी का सी फॉर्म के संबंध में कोई दोषिमनोभाव साबित नहीं होता है।"

9. उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.08.2015 से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में जांच के विशिष्ट बिन्दु पर सी फॉर्म का सत्यापन हो जाने के कारण उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। परन्तु इस कर निर्धारण आदेश में एक नया विवाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उत्पन्न किया गया कि व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में उत्तरवर्ती बिक्री के रूप में धारा 6(2) of the CST Act के अन्तर्गत जो बिक्री की गई थी उसके सम्बन्ध में विक्रेता व्यवहारी के पास क्रय आदेश पहले से ही मौजूद थे तथा कि अन्तर्राज्यीय बिक्री के दस्तावेजों का पृष्ठांकन (endorsement) नहीं किया गया था, अतः इसे उत्तरवर्ती बिक्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे करवंचना के उद्देश्य से किया गया कृत्य मानते हुए इसे राज्य की बिक्री अभिनिर्धारित करते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण करते हुए धारा 65 के अन्तर्गत शारित का भी आरोपण किया।
10. हमारे समक्ष निर्णयार्थ यह बिन्दु है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई प्रकरण विशिष्ट निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस प्रकरण का निस्तारण करते समय उस विशिष्ट बिन्दु पर आवश्यक जांच पश्चात् यथोचित निर्णय कर दिया जाता है परन्तु उसके साथ-साथ कोई नया विषय, जो कि मूल अपीलीय आदेश की विषय वस्तु ही नहीं था, उत्पन्न करते हुए कर, ब्याज एवं शारित आरोपण संबंधी कोई कार्यवाही की जा सकती है ?





11. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.08.2015 में अपीलीय आदेश में प्रतिप्रेषित किये गये बिन्दु विशेष को व्यवहारी के पक्ष में निर्णीत किया है, परन्तु एक नया ही विवाद का बिन्दु उत्पन्न करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री जिसे कि पूर्ववर्ती मूल कर निर्धारण आदेश में मान्य किया गया था, को अस्वीकार करते हुए इसे राज्य की बिक्री मानते हुए इस पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा सहायक आयुक्त बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 41 Tax Update 295 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि प्रतिप्रेषित प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार केवल उस सीमा तक ही आदेश पारित करने हेतु है जिस विशिष्ट बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री का विवाद न तो अपीलीय आदेश का विषयवस्तु था तथा न ही अपीलीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश अपीलाधीन आदेश में दिये थे, अतः कर निर्धारण अधिकारी का उक्त कृत्य उसके अधिकारों के अधीन नहीं था। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित है तथा इस सम्बन्ध में किसी Escaped Turnover पर करारोपण सम्बन्धी कोई कार्यवाही RST Act, 1994 की धारा 26 में दी गई समय सीमा जो कि पांच वर्ष थी, के भीतर ही की जा सकती थी एवं जो अवधि दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण के निष्पादन के समय अपीलीय आदेश में दिये गये विशिष्ट निर्देश की परिधि से बाहर जाकर किसी अन्य बिन्दु पर कार्यवाही करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतः अविधिसम्मत है। अतः इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
12. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।


20.8.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य